



कोटेशन सूचना(वाणिज्य शाखा)

दिनांक:-21.12.2021

भोपाल पश्चिम दिशा रेल्वे स्टेशन पर साइकिल स्कूटर स्टैण्ड का लाइसेन्स आबंटित करने बाबत।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये कार्य करते हुये मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य) पश्चिम मध्य रेल भोपाल द्वारा भोपाल पश्चिम दिशा रेलवे स्टेशन पर खुला साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल स्टैण्ड आबंटित करना है। जिसका कुल एरिया लगभग 1922.56 वर्गमीटर क्षेत्र है। इस साइकिल/स्कूटर स्टैण्ड को अधिकतम तीन माह की अवधि के लिये आबंटित करने हेतु मोहरबन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। यहाँ फौसिंग की सुविधा विभागीय तौर पर उपलब्ध कराई जावेगी। सफल निविदादाता को वाहन मालिकों से निम्नानुसार किराया लेने की अनुमति होगी-

क्रमांक	वाहनों का प्रकार	अवधि	दर
1.	साइकिल	04 घंटे	02 /- रूपये प्रति वाहन
2.	साइकिल	12घंटे	04 /- रूपये प्रति वाहन
3.	साइकिल	24घंटे	06 /- रूपये प्रति वाहन
4	साइकिल(एम.एस.टी.होल्डर)	मन्थली	60 /-रूपये प्रति वाहन
5	साइकिल(रेलवे स्टाफ)	मन्थली	30 /-रूपये प्रति वाहन
6	स्कूटर/मोटर साइकिल	04 घंटे	10 /- रूपये प्रति वाहन
7	स्कूटर/मोटर साइकिल	12 घंटे	20 /- रूपये प्रति वाहन
8	स्कूटर/मोटर साइकिल	24 घंटे	30 /- रूपये प्रति वाहन
9.	स्कूटर/मोटर साइकिल (एम.एस.टी.होल्डर)	मन्थली	300 /- रूपये प्रति वाहन
10.	स्कूटर/मोटर साइकिल (रेलवे स्टाफ)	मन्थली	100 /-रूपये प्रति वाहन
11.	स्कूटर/मोटर साइकिल (जी.आर.पी./न्यायालीन स्टाफ)	मन्थली	200 /-रूपये प्रति वाहन

प्रत्येक निविदादाता को ` 66577 /- (छियासठ हजार पांच सौ सत्तर मात्र) की वयाना राशि की डी.डी. /एफ.डी.आर./बैंकर्स चेक अथवा नगद राशि मंडल कौशियर कार्यालय भोपाल में जमा कर रसीद मूल रूप से कोटेशन के साथ लगाना अनिवार्य है जो कि कार्यवाही सम्पूर्ण होने पर वापिस की जा सकती है व ठेका आवंटन के उपरांत नियम व शर्तों के पालन न करने की अवस्था में आवंटन निरस्त होने पर बयाना राशि जप्त की जा सकती है। यह डी.डी./एफ.डी.आर./बैंकर्स चेक अथवा नगद राशि वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल के नाम एवं उन्ही के नाम देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनी होना चाहिये, कोटेशन दिनांक 28.12.2021 को समय 15.00 बजे तक इस कार्यालय में रखी कोटेशन पेटी में डाले जायेंगे तथा उक्त दिनांक 28.12.2021 को ही समय 15.15 बजे कोटेशन पेटी खोली जायेगी। इस ठेके का आरक्षित मूल्य ` 665766 /- (रूपये छै: लाख पैसठ हजार सात सौ छियासठ मात्र) 90 दिन के लिए रखा गया है। रेल्वे कोई शर्त घटा अथवा बढ़ा सकती है। जो कि कोटेशनदाता को मान्य होगी। अन्य जानकारी इस कार्यालय में आकर किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है। यह कोटेशन विना कोई कारण वताये रेल्वे समाप्त भी कर सकती है। सफल कोटेशन दाता को 45 दिन की लायसेंस फीस के बराबर राशि की एफ.डी.आर. के रूप में सुरक्षा राशि देनी होगी तथा 30 दिन की एडवांस लायसेंस फीस जमा करनी होगी एवं अपना पास पोर्ट साइज फोटो को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा कर देना होगा व चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक या थाना प्रभारी से जारी (छै माह से पुराना न हो) एवं आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह कोटेशन सूचना वेवसाइट <http://www.wcr.indianrailways.gov.in> पर भी उपलब्ध है। प्रस्ताव में दी गयी लायसेंस फीस पर 18% की दर से जी.एस.टी. देना होगा।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक (वाणि)/भोपाल.

पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(वा),भोपाल
दिनांक 21.12.2021

पत्रांक:वा/भो/सा./स्कू./स्टैन्ड/भोपाल पश्चिम दिशा/21,

- स्टेशन प्रबंधक भोपाल पश्चिम दिशा- वह कृपया उक्त कोटेशन सूचना को स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर चिपकायें एवं अधिक से अधिक इसका प्रचार करें।
- डी.सी.आई.भोपाल पश्चिम दिशा- वह कृपया उक्त कोटेशन के संबंध में उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें।
- वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक,पमरेल भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक(वाणि)/भोपाल.



क्रमांक: वा./भो./साई./स्कू./पार्किंग स्टैण्ड/भोपाल पश्चिम दिशा/21,

दिनांक:

कोटेशन फार्म

विषय:- साईकल/स्कूटर पार्किंग स्टैण्ड स्टेशन भोपाल पश्चिम दिशा।

क्र

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | आवेदक का नाम | :: | _____ |
| 2 | पिता का नाम | :: | _____ |
| 3 | पता वर्तमान एवं स्थाई | :: | _____

_____ |
| 4 | कोटेशनदाता द्वारा 90 दिन के लिए लायसेंस फीस | :: | _____ |
| 5 | बयाना राशि का विवरण | :: | _____ |
| 6 | प्रस्तुत प्रपत्रों का विवरण | :: | 1 _____
2 _____
3 _____
4 _____ |

घोषणा

में यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि कोटेशन सूचना की सभी शर्तें पढ़कर व समझली गई है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि कोई भी जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो रेल प्रशासन को कोटेशन सूचना निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस संबंध में मैं कोटेशनदाता कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेगा।

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर :-

कोटेशनदाता का नाम :-

कोटेशनदाता का नम्बर :-



क्रमांक: वा./भो./साई./स्कू./पार्किंग स्टैण्ड/भोपाल पश्चिम दिशा/21,

दिनांक: 21.12.2021

नियम व शर्तें

1. सफल कोटेशन दाता को वाहन मालिकों से निम्न प्रकार से पार्किंग दरें लेने की अनुमति होगी :-

क्रमांक	वाहनों का प्रकार	अवधि	दर
1.	साइकिल	04 घंटे	02/- रुपये प्रति वाहन
2.	साइकिल	12घंटे	04/- रुपये प्रति वाहन
3.	साइकिल	24घंटे	06/- रुपये प्रति वाहन
4.	साइकिल(एम.एस.टी.होल्डर)	मन्थली	60/-रुपये प्रति वाहन
5.	साइकिल(रेलवे स्टाफ)	मन्थली	30/-रुपये प्रति वाहन
6.	स्कूटर/मोटर साइकिल	04 घंटे	10/- रुपये प्रति वाहन
7.	स्कूटर/मोटर साइकिल	12 घंटे	20/- रुपये प्रति वाहन
8.	स्कूटर/मोटर साइकिल	24 घंटे	30/- रुपये प्रति वाहन
9.	स्कूटर/मोटर साइकिल (एम.एस.टी.होल्डर)	मन्थली	300/- रुपये प्रति वाहन
10.	स्कूटर/मोटर साइकिल (रेलवे स्टाफ)	मन्थली	100/-रुपये प्रति वाहन
11.	स्कूटर/मोटर साइकिल (जी.आर.पी./न्यायालीन स्टाफ)	मन्थली	200/-रुपये प्रति वाहन

2. राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी शासकीय वाहन व रेल्वे के सभी शासकीय वाहन निशुल्क रखे जायेंगे।
3. प्रत्येक कोटेशनदाता ` 66577/- (छियासठ हजार पांच सौ सत्तर मात्र) की बयाना राशि के लिए एफडीआर/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो कि वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल के नाम एवं उन्हीं के नाम देय,किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक से बनी मूल रूप से कोटेशन फार्म के साथ लगाना अनिवार्य है। यदि नकद राशि जमा की जाती है तो वह मंडल कैशियर कार्यालय भोपाल में जमा कर कोटेशन के साथ रसीद संलग्न करना अनिवार्य है, जो कि कार्यवाही सम्पूर्ण होने के उपरान्त वापिस की जा सकती है व ठेका आवंटन के उपरांत नियम व शर्तों के पालन न करने की अवस्था में आवंटन निरस्त होने पर बयाना राशि जब्त की जा सकती है।
4. सफल कोटेशनदाता को 45 दिन की लायसेंस फीस के बराबर की राशि बतौर सुरक्षा राशि एफडीआर के रूप में लाइसेंस आवंटन के समय देनी होगी साथ ही 30 दिन की एडवांस लायसेंस फीस जमा करनी होगी।
6. कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ अपना पास पोर्ट साइज फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा कर देना होगा व चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक या थाना प्रभारी से जारी (छै माह से पुराना न हो) एवं आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
7. प्रस्ताव में दी गयी लाइसेंस फीस पर 18% की दर से GST देना होगा।